FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0008 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/01/2026 16:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 13/02/2020 **Date To (दिनांक तक):** 13/02/2020

      Time Period (समय अवधि): पहर 7 **Time From (समय से):** 21:05 बजे **Time To (समय तक):** 23:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/01/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/01/2026 16:20:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** ALWAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SALEH MOHAMMAD

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ZAFAR ALI KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	116, JAGANNATHPURI KALWAR MARG, JHOTWARA, JHOTWARA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	116, JAGANNATHPURI KALWAR MARG, JHOTWARA, JHOTWARA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJENDRA PRASAD KHATIK		पिता:RAKHARAM KHATIK	1. TASING,BAHROR,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		60,18,865.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 60,18,865.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, If necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि प्रकरण सं. 34/2020 में दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 13.02.2020 को श्री सलेह मौहम्मद तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय द्वारा आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक मकान नम्बर 110 पत्रकार कॉलोनी बुद्धविहार अलवर की एवं दिनांक 14.02.2020 को ट्रेपिंग अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार पुलिस उप अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो अलवर द्वारा आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक की पीठ लटके बैग की स्वतंत्र गवाहान के सामने जरिये फर्द ली गई खाना तलासी में मिले सामान/दस्तावेज आदि के मुकाबले संकलित साक्ष्य से पाया गया कि आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद दिनांक 01.12.1994 से सहायक शल्य पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्त होकर राजकीय पशु चिकित्सालय फलोडा जिला डूंगरपुर पदस्थापित हुआ है एवं डूंगरपुर के अलावा, जिला अलवर, धोलपुर, जैसलमेर, आदि स्थानों पर पदस्थापित रहा है तथा वक्त कार्यवाही दिनांक 13.02.2020 को राजकीय पशु चिकित्सालय बानसूर जिला अलवर में वरिष्ठ पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थापित था। आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक की प्रथम नियुक्ति तिथि 01.12.1994 से 14.02.2022 तक की अवधि का चैक पीरियड मानते हुये अर्जित आय एवं व्यय राषि की तालिका प्रपत्र अ, ब, स, द, में निम्नानुसार गणना की गई।

प्रपत्र "अ"

आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक की चैक पीरियड प्रथम नियुक्ति 01.12.1994 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण

क्रम सं0 परिसम्पत्तियों का विवरण खरीदने/निवेश करने की दिनांक व वर्ष परिसम्पत्तियों का मूल्य वर्तमान परिसम्पत्ति उपलब्ध होने का विवरण -शून्य

प्रपत्र "ब"

चैक पीरियड के अन्त में आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक के पास मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण

क्रम सं0 परिसम्पत्तियों का विवरण खरीदने/निवेश करने की दिनांक व वर्ष परिसम्पत्तियाँ किसके नाम खरीदी गई व एस.ओ. से सम्बन्ध सम्पत्ति खरीद का मूल्य

1 आवासीय मकान नम्बर 110 पत्रकार कॉलोनी बुद्धविहार अलवर, 200 वर्गगज में बना हुआ है। उक्त मकान का मूल्याकंन सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत अलवर द्वारा गठित तकनिकी अधिकारीयों से करवाया गया तो तकनीकी अधिकारियों ने भूखण्ड एवं निर्माण पर कुल 81,48,569/-रूपये का व्यय होना बताया। उक्त राशि में से भूखण्ड की डिएलसी दर से राशि 37,68,024रूपये है व भवन के निर्माण पर 43,80,545/-रूपये का व्यय होना बताया है।इस प्रकार उक्त भूखण्ड पर मूल्यांकन रिपोर्ट से 81,48,569/-रूपये व्यय होना पाया है। 19.01.09 से 14.02.2020 तक स्वयं आरोपी के नाम 81,48,569/-

2 आवासीय मकान 4/11 एनईबी अलवर जो राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर का किराया पद्धति से लिया गया है जिसमें कुल राशि 7,97,032/-रूपये भरे गये है वर्ष 2010 स्वयं आरोपी के नाम 7,97,032/-

3 अरावली विहार बानसूर जिला अलवर में एक भूखण्ड 233 वर्ग गज का जो आरोपी की पत्नी श्रीमती संतोष के नाम उसके पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र मिला था। उक्त भूखण्ड में हुये निर्माण का मूल्याकनं सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत अलवर द्वारा गठित तकनिकी अधिकारीयों से करवाया गया तो तकनीकी अधिकारियों ने भूखण्ड एवं निर्माण पर कुल 25,85,312/-रूपये का व्यय होना बताया। उक्त राशि में से भूखण्ड का व्यय 9,90,485.85 रूपये है, जो आरोपी ने अपनी पत्नी को उसके पिता द्वारा जरिये दान पत्र देना बताया है। आरोपित के ससुर की मृत्यु हो चुकी है। मालूमात करने पर आरोपित का ससुर खेती बाडी का धन्धा करता था। इस प्रकार भूखण्ड पर मूल्यांकन रिपोर्ट से 15,94,827/-रूपये का व्यय होना पाया गया। दान पत्र से प्राप्त वर्ष 2011 आरोपी की पत्नी श्रीमती संतोष के नाम 15,94,827/-

4 एक हीरों होण्डा सीडी 100 मोटरसाईकिल नम्बर आरजे-02एस 5651 2010 स्वयं आरोपी के नाम 45093/-

5 एक होण्डा एविएटर स्कूटी नम्बर आरजे-02 एसएम-5820 2010 स्वयं आरोपी के नाम 46000/-

6 एक पुरानी कार हुण्डई आई20 नम्बर आरजे-02 सीबी 5780 जो आरोपी द्वारा कार खरीदने हेतु लिये गये ऋण का पूरा

होने पर ऋण के पुर्न भुगतान हेतु चुकाई गई ब्याज राशि के बारे में बैकं खाते का स्टेटमेंन्ट प्राप्त किया गया तो स्टेटमेन्ट के अनुसार आरोपित द्वारा माह नवम्बर 2012 में 6,00,000/-रूपये का ऋण लिया गया था। आरोपी द्वारा उक्त ऋण पर ब्याज राशि 85,929/-रूपये चुकता किये है। तत्समय हुण्डई कार आई 20 कार की कीमत की जानकारी चाहने पर उक्त कार की कीमत लगभग 8,00,000/-रूपये थी। इस प्रकार ऋण पर ब्याज राशि 2,85,929/-रूपये व कार की कीमत 8,00,000 /-रूपये को जोडकर कुल राशि 10,85,929/-रूपये है। 11/2012 स्वयं आरोपी के नाम 10,85,929/-

7 आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के एसबीआई शाखा बानसूर में संधारित खाता सं0 51067868288 में दिनांक 08.01.2020 को अन्तिम बेलेंस, 14.02.2020 स्वयं आरोपी के नाम 52.00/-

8 आरोपी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के एसबीआई शाखा आर्य नगर अलवर में संधारित खाता सं0 30233343064 में अन्तिम बेलेंस, 13.06.2016 से 2020 तक स्वयं आरोपी के नाम 2,884/-

9 यूनियन बैंक अलवर में आरोपी की पुत्री सुजाता भारती के नाम संधारित खाता सं0 442202010089307 में दिनांक 14.02.20221 को अन्तिम बेलेंस अन्तिम बेलेंस 24.10.2014 से
14.02.2020 आरोपी की पुत्री सुजाता भारती 5,059/-

10 यूनियन बैंक अलवर में आरोपी की पुत्री सुजाता भारती के नाम संधारित खाता सं0 442202010090572 में दिनांक 14.02.20221 को अन्तिम बेलेंस 26.02.2014 से अन्तिम बेलेंस 26.02.2014 से
14.02.2020 आरोपी की पत्नी श्रीमती संतोष देवी के नाम

11 पंजाब नेशनल बैंक मनुमार्ग अलवर में संधारित खाता सं0 0013000100600597 में दिनांक 14.02.2020 को अन्तिम बेलेंस, 11.10.2006 14.02.2020 स्वयं आरोपी के नाम 175.00

कुल योग 11727659

प्रपत्र -स-

आरोपित अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पशु चिकित्सक की चैक पीरियड दिनांक 01.12.1994 से दिनांक 14.02.2020 तक शुद्ध वैध आय का विवरणः-

क्रम सं0 खर्च का शीर्षक व विवरण आय प्रप्त होने की दिनांक वर्ष व अवधि जिसके द्वारा अर्जित की गई व एस.ओ. से सम्बन्ध। शुद्ध आय की राशि

1 एस.ओ. के वेतन भत्तो से शुद्ध आय इनकम टैक्स एवं अन्य कटौतियों के बाद मुताबिक जीए 55 01.12.1994 से 14.02.2020 तक स्वयं आरोपी 1,02,55,834

2 एसबीआई आर्यनगर अलवर से 11,25000/-रू का भूखण्ड क्रय हेतु ऋण लिया गया है, जो ऋण खाता सं0 30644614722 प्रमाणित है अतः उक्त राशि का आरोपी की आय में माना जाना उचित है। 2009-10 स्वयं आरोपी 11,25,000

3 एसबीआई आर्यनगर अलवर से मकान निर्माण हेतु आरोपी द्वारा दो बार में 46 लाख रू. का ऋण लिया गया है जो ऋण खाता सं. 38262061327 व 35796770064 से प्रमाणित है अतः उक्त राशि को आरोपी की आय में माना जाना उचित है । 2010-15 स्वयं आरोपी 46,00,000/-

4 जीपीएफ खाता सं. 852061 से दिनांक 07.12.2007 को 2,11,000, एवं दिनांक 09.07.2013 में 1,30,000 एवं दिनांक 2015-2016 में 1,72,000 कुल 05,13,000/-रू. का स्थाई ऋण लिया गया है जो पास बुक इन्द्राजात एवं अधिकार पत्रों से प्रमाणित है अतः उक्त स्थाई ऋण राशि 5,13,000/-रू. को आरोपी की आय में माना जाना उचित है। 07.12.2007 से 2016 तक स्वयं आरोपी 05,13,000/-

5 एसआई खाता सं. 832696 से दिनांक 08.10.2015 को स्थाई ऋण 03 लाख लिया गया है जो बीमा प्रमाण पत्र सं. 832696 में अंकित अधिकार पत्र से प्रमाणित है अतः उक्त स्थाई ऋण राशि 3,00,00/-रू. को आरोपी की आय में माना जाना उचित है, वर्ष 2015 स्वयं आरोपी 3,00,000/-कुल योग 16793834-00

नोटः-आरोपी द्वारा एसबीआई आर्यनगर अलवर से 11,25000/-रू का भूखण्ड क्रय हेतु ऋण लिया गया है, जिसका ऋण खाता सं. 30644614722 है तथा ऋण राषि का भुगतान आरोपी के वेतन से किया जा रहा है तथा बैंक का 8,26,564 का ऋण बकाया है, तथा उक्त शाखा से ही आरोपी द्वारा मकान निर्माण हेतु 20 लाख एवं 26 लाख कुल 46 लाख रूपये का ऋण लिया गया है जिसका खाता सं. 38262061327 व 35796770064 है तथा प्रिमियम का भुगतान आरोपी द्वारा अपने बेतन से किया जा रहा है, तथा बैंक का वर्तमान में 35,60,376/-रूपये का ऋण बकाया है।

प्रपत्र द

आरोपित अधिकारी डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद पशु चिकित्सक द्वारा चैक पीरियड दिनांक 01.12.1994 से 14.02.2020 तक किये गये खर्चे का विवरणः-

क्रम सं0 खर्च का शीर्षक खर्च करने की दिनांक वर्ष व अवधि जिसके द्वारा खर्च किया गया व एस.ओ. से सम्बन्ध। खर्च की राशि

1 मुताबिक जी 55 एस.ओ. के सकल वैतन 1,32,63,743/-रू. में से आयकर राशि 8,19,020/-रू. घटाने के बाद शेष राशि 1,24,44,723/-रूपये में से 1/3 राशि 41,48,241/.-रूपये असत्यापनीय व्यय 01.12.1994 से 14.02.2020 तक स्वयं आरोपी 41,48,241
2 सरकारी आवास एआरजी-07 अलवर की तलाशी में मिले सामान को क्रय करने पर व्यय 01.12.1994 से 14.02.2020 स्वयं आरोपी 01,80,200
3 आरोपी द्वारा अपने पुत्र पंकज चेतीवाल की शिक्षा पर किया गया ब्यय 01.12.1994 से 14.02.2020 तक स्वयं आरोपी द्वारा 4,38,400/-
4 आरोपी द्वारा अपने पुत्र गौरव चेतीवाल की पढाई पर किया गया व्यय उपरोक्त स्वयं आरोपी द्वारा 4,59,600/-
5 आरोपी द्वारा अपनी पुत्री सुजाता भारती की शिक्षा पर किया गया व्यय उपरोक्त स्वयं आरोपी द्वारा 62,000/-
6 आरोपी द्वारा अपने वाहनों के परिचालन, बीमा, मरम्मत इत्यादि में अनुमानित व्यय 4,00,000/-रूपये स्वंय आरोपी द्वारा 4,00,000/-
7 बैक स्टेटमेन्ट के अनुसार सदिग्धं आरोपित द्वारा होम लोन एसबीआई खाता संख्या 30644614722 से दिनांक 16.01.2009 को 1125000/-रूपये ऋण लिया गया था। उक्त ऋण पर मूल धन मय ब्याज के आरोपित द्वारा 2704006/-रूपये जमा करवाये गये है। 2704006/-
8 सदिग्ध आरोपित द्वारा एसबीआई खाता संख्या 75796770064 से 26,00,000/-रूपये दिनांक 27.05.2016 को होमलोन लिया गया था। उक्त होम लोन में से चैक पीरियड अवधि तक आरोपित द्वारा मूलधन मय ब्याज के 24,12,595/-रूपये जमा करवाये गये है। 24,12,595/-
9 आरोपित द्वारा टॉप अप होम लोन खाता संख्या 38262061327 से दिनांक 15.02.2019 को 20,00,000/-रूपये का होमलोन लिया गया है। उक्त ऋण में से आरोपित द्वारा 2,80,000/-रूपये मय ब्याज के चैक पीरियड में जमा करवाये गये है । 2,80,000/- कुल योग 11085042
क. चेक पीरियड से पूर्व खरीदी गई/ अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य - निल
ख. चेक पीरियड के अन्त में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य - 1,17,27,659/-
ग. चेक पीरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (ख-क) - 1,17,27,659/-
घ. चेक पीरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि - 1,67,93,834/-
ड. चेक पीरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि -1,10,85,042/-
च. चेक पीरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (खड) - 1,17,27,6591,10,85,0422,28,12,701/-
छ. आय से अधिक/कम सम्पत्ति की राशि (च-घ) -2,28,12,701-1,67,93,83460,18,865/-
आय से अधिक/कम सम्पत्ति का प्रतिशत (छ/घ गुणा 100) - 60,18,865/1,67,93,834 गुणा 100 35.83 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार चैक अवधि 01.12.1994 से दिनांक 14.02.2020 तक के दौरान आरोपित डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वरिष्ठ पशु चिकित्सक राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बानसूर जिला अलवर की ज्ञात स्त्रोतों से आय 1,67,93,834/-रूपये तथा परिसम्पत्तियों एवं व्यय राशि 2,28,12,701/- रू. होना पाई गई हैं, तथा अर्जित आय 1,67,93,834/- रूपये में से परिसम्पत्तियों एवं व्यय राशि 2,28,12,701/- रूपये कम करने पर संभावित बचत 60,18,866/-रूपये अधिक होना पायी गई हैं। कुल अधिक राशि 60,18,865/-रूपये से अधिक का (छ/घ गुणा 100) 60,18,865/1,67,93,834 गुणा 100 35.83 प्रतिशत अधिक अर्जित करना पाया गया।

आरोपी डा0 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रक्खाराम खटीक निवासी ग्राम तंसिंग तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड हाल निवासी मकान न0 04/11 एनईबी एक्सटेशन अलवर एवं प्लाट न0 110 पत्रकार कॉलोनी बुद्ध विहार अलवर, तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सक राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बानसूर जिला अलवर हाल कुचामन जिला डेगाना-कुचामन द्वारा अपने चैक अवधि में अपने ज्ञात आय-व्यय स्रोतों से अधिक भ्रष्ट एवं अवैध तरीको से 60,18,865/-रूपये की अवैध परिसम्पतियां अर्जित करना पाये जाने पर उक्त का यह कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई),13(2)पीसी एक्ट 1988..एवं 13(1)(बी),13(2)पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या बखुबी बनना पाया गया है। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक पुत्र श्री रखाराम खटीक निवासी गांव तसींग तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सक राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बानसूर जिला अलवर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग डूंगरपुर (दिंनाक 09.10.2025 से निलम्बित) के विरूद्ध अपने ज्ञात आय-व्यय स्रोतों से अधिक भ्रष्ट एवं अवैध तरीको से 60,18,865/-रूपये की अवैध परिसम्पतियां अर्जित करना स्पष्ट रूप से करना पाये जाने पर आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई),13(2)पीसी एक्ट 1988..एवं 13 (1)(बी),13(2)पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टा बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय (परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

भिवाडी।...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई),13(2)पीसी एक्ट 1988 एवं 13(1)(बी),13(2)पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक पुत्र श्री रखाराम खटीक निवासी गांव तसींग तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सक राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बानसूर जिला अलवर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 92 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 38-41 दिनांक 06.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 3- श्री अनिल कयाल, उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]/2026 [illegible]7

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(सें.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)